

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730] No. 730] नई दिल्ली, सोमवार, जून 18, 2007/ज्येष्ठ 28, 1929

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 18, 2007/JYAISTHA 28, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सङ्क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2007

का.आ. 985(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में यथा वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में यथा उल्लिखित सेक्शन के उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट भू-खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	किलोमीटर में भू-खण्ड
(1)	(2)	(3)
24ख	उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ–रायबरेली- इलाहाबाद सेक्शन	70.00 कि.मी. से 188.050 कि.मी. तक

[फा. सं. एनएच-14012/3/2006-पी एण्ड एम] सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways) NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2007

S.O. 985(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch specified in column 3 of the Table below, of the Section as mentioned in column 2 of the said table, of the National Highway as described in column 1 of the said table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Section	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
24B	Lucknow—Rai Bareily— Allahabad Section in the State of Uttar Pradesh	Km. 70.00 to Km. 188.050

[F. No. NH-14012/3/2006-P&M] SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.